

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्रीमति सरिता कुमार मीना पुत्री रमन लाल निवासी सालिमपुर तहसील महुआ जिला दौसा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख जिला कार्यालय भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 36/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28-05-2025	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 06.03.2025 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख जिला कार्यालय भीलवाड़ा रेस्पोंडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 07.05.2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li><li>लोक सूचना अधिकारी एवं एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख जिला कार्यालय भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 67828-29 दिनांक 06.05.2025 से अपीलार्थी को अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में यह यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है।</li></ol> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28-05-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संघु)  
प्रथम अपीलार्थी अधिकारी  
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा